

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
08.10.15	<p style="text-align: center;">न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं० 24/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम राजू उर्फ राजू कुमार नट, थाना-दरियापुर</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2015 (ज्ञापांक 695/न्या०, दिनांक 17.09.15 के द्वारा संसूचित) विपक्षी राजू उर्फ राजू कुमार नट, पिता-धन्न नट, सा० पोरई, थाना-दरियापुर जिला-सारण को इस आदेश के तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक जिला बदर करते हुए निर्देश दिया गया है कि वे आदेश प्राप्त के 24 घंटे के अंदर इस आशय का शपथ पत्र जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कि जिला बदर की अवधि में वे बिहार के किस जिला के किस थाना में निवास करेंगे।</p> <p>विपक्षी की मां राजकुमारी देवी, जौजे स्व० धुन्ना नट, सा० पोरई, थाना दरियापुर, जिला सारण के द्वारा इस आशय का शपथ पत्र एवं बंध पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनका लड़का गुजरात में ट्रक चलाता है। आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन 2015 से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह बिहार में दिनांक 12.11.2015 तक नहीं रहेगा।</p> <p>अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को निर्देश है कि वे थानाध्यक्ष, दरियापुर को निदेशित करें कि वे विपक्षी के परिवार से संपर्क कर अविलंब विपक्षी का फोटो प्राप्त करें, एवं इस जिले के वेबसाइट पर उसे सभी थानाध्यक्षों को संबोधित इस निर्देश के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें कि दिनांक 12.11.2015 तक अगर विपक्षी इस जिले में कहीं भी नजर आए तो उसके विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की सूसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।</p> <p>इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम दरियापुर थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगे। थानाध्यक्ष दरियापुर को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p>	



उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित्त/एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक..... 818/न्या0, दिनांक..... 8.10.15

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि:-थानाध्यक्ष, दरियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-राजू उर्फ राजू कुमार नट, पिता-धन्न नट, सा0 पोरई, थाना-दरियापुर जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपलानार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - D90, N9C, साण 5 इस जिले 5 web site
upload करने हेतु, प्रेषित।

वरीय उप सहायता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

PS
8/10/15

2015/10/08